



17

पत्रांक BEP/BGP/RTE/ PVT/File No. 6081/1
प्रेषित,

दिनांक.....

संचालक/प्रबंधक/निदेशक/प्रधानाध्यापक,
डी०एल०एस० इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल बदलूगंज, बाराहाट ईशीपुर।

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा-18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम-11, उप नियम-05 के विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम-11, उपनियम-05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि डी०एल०एस० इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल बदलूगंज, बाराहाट ईशीपुर को कक्षा 01 से कक्षा 08 तक संचालन हेतु 30.09.2022 तक की अवधि के लिए औपबधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है एवं तत्पश्चात् आपके द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत प्रस्वीकृति का अग्रतर नवीनीकरण किया जा सकेगा। विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति संख्या BEP/BGP/RTE/PVT/103/2019 है। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी प्रकार के पत्राचार करने में इस प्रस्वीकृति संख्या को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर/उपर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (अनुलग्नक 1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011, (अनुलग्नक-02-03) के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस/पोषक क्षेत्र के कमजोर वर्ग एवं अलामकारी समूह के बच्चों (EWS) का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. उक्त कंडिका-03 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के धारा-12 की उपधारा-02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकेगा। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा प्रवेश हेतु किसी भी बच्चे, उसके माता-पिता/अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को नामांकन के समय उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:-

क. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ख. उक्त कंडिका-7 के संदर्भ में बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2019 एवं समय-समय पर RTE में यथा संशोधित प्रावधानों/नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

Manager

Principal

D.L.S. International Public School
Badlugaon, Barahat, Ishipur
Bhagalpur, Bihar-813206

D.L.S. International Public School
Badlugaon, Barahat, Ishipur
Bhagalpur, Bihar-813206



खा. (वि. नि. से.)
पदाधिकारी
वि. नि. से. भागलपुर

पत्रांक BEP/BGP/RTE/ PVT/File No...../

दिनांक.....

- ग. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - घ. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - ङ. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - च. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा। विद्यालय परिसर में अग्निशामक यंत्र एवं दिव्यांग बच्चों के लिए रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाए।
 - छ. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा 01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - ज. विद्यालय के सभी शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 01 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - न. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/प्रावधानित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण अपेक्षित है।
 9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा। पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं सभी अनुमान्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा उसके स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगा।
 10. विद्यालय के नाम से कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर संचालित नहीं होगा।
 11. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
 12. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
 13. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए संचालित नहीं होगा।
 14. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भागलपुर को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
 15. राज्य सरकार, जिला प्रशासन, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान), भागलपुर के द्वारा समय समय पर मांगे गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के अद्यतन रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय समय पर जारी अनुदेशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
 16. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसकी अद्यनता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
 17. प्रतिवर्ष ससमय विद्यालय द्वारा UDISE+ प्रपत्र भरा जाएगा एवं विद्यालय प्रबंधन, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के अनुश्रवण/निरीक्षण हेतु इन्कार नहीं कर सकेंगे।

Manager

Principal

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर



ग. खों (वि.शि.से.)
पदाधिकारी
सो शि० अ०. भागलपुर

बिहार शिक्षा परियोजना (समग्र शिक्षा अभियान),
डायट कैम्पस, खिरनीघाट, बड़ी खंजरपुर, भागलपुर 812001 (बिहार)

पत्रांक BEP/BGP/RTE/ PVT/File No... 6081/2309

दिनांक 15/11/19

18. आपदा-प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था करते हुए अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन की होगी।
19. विद्यालय द्वारा संचालित/व्यवहृत सभी गाड़ियों में वैधानिक यातायात नियमों/ परिवहन विभाग के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी।
20. विद्यालय द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य वैधानिक संस्थाओं यथा NCPCR/SCPCR इत्यादि द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
21. RTE नार्म्स के अनुसार अनुपालन एवं प्रस्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र अभिलेखों/जानकारी/सूचना इत्यादि यदि असत्य या त्रुटियुक्त पाया गया तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगा और प्रस्वीकृति स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

अंकनीय है कि उक्त पत्र पर जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति की अध्यक्षता में दिनांक 06.06.2019 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

प्रारंभिक शिक्षा एवं सो शि० अ०-सह-सदस्य सचिव,
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, भागलपुर।

Akash Kumar
Manager

D.L.S. International Public School
Badluganj, Barahat, Ishipur
Bhagalpur, Bihar-813206

Bullant Kumar

Principal

D.L.S. International Public School
Badluganj, Barahat, Ishipur
Bhagalpur, Bihar-813206